भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3697

दिनांक 16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत कवरेज

3697. श्री अरूण साव:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र प्रायोजित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ख) बीआरजीएफ के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ के जिलों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के तहत किसी जिले को शामिल करने के लिए अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के तहत छत्तीसगढ़ के और अधिक जिलों को शामिल करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है: और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु निर्धारित व प्राप्त व्यवहार्य लक्ष्यों का जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में पहचान किए गए 272 पिछड़े जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के जिला घटक को लागू कर रहा था। कार्यक्रम को पहचान किए गए जिलों में मौजूदा विकासात्मक प्रवाह को संपूरित और परिवर्तित करने के लिए निधि प्रदान करके विकास में क्षेत्रीय असंतुलन के निवारण के लिए बनाया गया था। जिला योजना समितियों द्वारा विधिवत अनुमोदित उनकी वार्षिक जिला योजनाओं के आधार पर चिन्हित जिलों के लिए राज्य सरकारों को अबद्ध अनुदान प्रदान किए गए। बीआरजीएफ के लिए वार्षिक बजट आवंटन को दो घटकों में विभाजित किया गया था, अर्थात् क्षमता निर्माण अनुदान और विकास अनुदान। राज्य सरकार ने पिछड़ेपन या विकास के स्तर को निर्धारित करने के लिए राज्य के भीतर स्वीकार किए गए सूचकांक या सूत्र के आधार पर स्थानीय निकायों और इन निकायों के प्रत्येक स्तर के बीच अंतः सह-आवंटन का निर्णय लिया।

(ख) छत्तीसगढ़ के पंद्रह (15) जिले बीआरजीएफ कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए थे। इन जिलों के नाम **अनुबंध** में दिये गये हैं।

(ग) बीआरजीएफ कार्यक्रम के तहत जिलों को कम आय, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति, सामाजिक पिछड़ेपन और बुनियादी ढाँचे की अपर्याप्तता से संबंधित चुने गए मापदंडों के आधार पर पिछड़ेपन की श्रेणी के आधार पर चुना गया था।

(घ) से (च) जी, नहीं। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय करों की शुद्ध आय में राज्यों की हिस्सेदारी को केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियों के 32% से 42% तक बढ़ाया गया है। इसलिए, बीआरजीएफ कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 से केंद्र सरकार के बजटीय समर्थन से हटा दिया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं 3697 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बीआरजीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ के जिले

क्रम संख्या	जिले का नाम
1.	बस्तर
2.	बीजापुर
3.	बिलासपुर
4.	दंतेवाड़ा
5.	धमतरी
6.	जशपुर
7.	कबीरधाम
8.	कांकेर
9.	कोरबा
10.	कोरिया
11.	महासमुंद
12.	नारायणपुर
13.	रायगढ़
14.	राजनंदगांव
15.	सरगुजा